



E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
Impact Factor (RJIF): 5.63
www.historyjournal.net
IJH 2025; 7(10): 12-15
Received: 16-08-2025
Accepted: 20-09-2025

धर्मेन्द्र कुमार

शोधार्थी, यूजीसी नेट (जेआरएफ),
इतिहास विभाग, जय प्रकाश
विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत।

डॉ. सैय्यद रज़ा

शोध पर्यवेक्षक, प्रोफेसर, इतिहास विभाग
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार,
भारत।

आरक्षण और समावेशी विकास: 1902 ई. से 2008 ई. तक अन्य पिछड़े वर्ग के सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं नीतिगत विश्लेषण

धर्मेन्द्र कुमार, सैय्यद रज़ा

DOI: <https://www.doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.i10a.529>

सारांश

यह शोध पत्र आरक्षण नीति के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के सशक्तीकरण और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो औपनिवेशिक काल से स्वतंत्र भारत तक की ऐतिहासिक यात्रा का नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। पत्र की शुरुआत कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज के प्रयासों से होती है, जिन्होंने 1902 में गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, जो पिछड़ों की चेतना का प्रारंभिक उदाहरण था। आगे, मैसूर के मिलर आयोग (1918) और मद्रास सरकार के 1885 से चले कल्याणकारी प्रयासों का उल्लेख है, जिन्होंने शिक्षा और सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं प्रदान कीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। स्वतंत्रता के बाद, काका कालेलकर आयोग (1953) ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की और भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सिफारिशें कीं। विभिन्न राज्यों जैसे बिहार (मुंगेरी लाल आयोग, 1971), गुजरात (बख्शी आयोग, 1972), कर्नाटक (हावनूर आयोग, 1972) आदि ने स्थानीय स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10-42% तक कोटा निर्धारित किया गया। मंडल आयोग (1979) की सिफारिशों ने केंद्र स्तर पर 27% आरक्षण की नींव रखी, जो 1990 में वी.पी. सिंह द्वारा घोषित हुई और 1993 में लागू हुई। 2008 में उच्च शिक्षा में भी 27% आरक्षण प्रदान किया गया। यह विश्लेषण दर्शाता है कि आरक्षण ने सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, हालांकि चुनौतियां जैसे विरोधी आंदोलन और क्रियान्वयन की कमियां बनी रहीं। समावेशी विकास के संदर्भ में, यह नीति ओबीसी को मुख्यधारा में लाने का प्रभावी उपकरण सिद्ध हुई है, जो जातिगत असमानता को कम करने में सहायक रही।

शब्द-कुंजी : आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग, सशक्तीकरण, मंडल आयोग, समावेशी विकास, काका कालेलकर आयोग

प्रस्तावना

पिछड़ों में सबसे पहले चेतना का काम कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज ने किया। उनको यह महसूस उस समय हुआ, जब उनके पुरोहित ने उनका विधिवत विधि से धर्मानुष्ठान करने से इस आधार पर मना कर दिया कि ये शूद्र हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों ने एकजुट होकर अपमानित किया, तो महाराजा ने पुरोहित को हटा दिया। जब ब्राह्मणों ने जत्येबंदी करके प्रतिकार किया तथा उस समय के शंकराचार्य ने इसका समर्थन किया तो महाराजा ने दृढ़तापूर्वक एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके अनुसार एक योग्य क्षत्रिय कुर्तकोटी को राज्य का शंकराचार्य बना दिया तथा अपने पुराने पुरोहित को हटा दिया। महाराज का यह निर्णय वर्ण-व्यवस्था के मूल पर जोरदार हमला था। शाहूजी महाराज अंत तक अपने निर्णय पर डटे रहे। पिछड़ों की आधुनिक लड़ाई का यह पहला प्रसंग है। 1902 में सबसे पहले शाहूजी महाराज अपनी छोटी-सी रियासत कोल्हापुर में सामान्य प्रशासन की जो सीटें थीं, उनमें से 50% सीटें ब्राह्मण जाति के इतर जो गैर-ब्राह्मण जातियां हैं उनसे भरी जाएंगी।¹ (Figure 1, see below).

Corresponding Author:

धर्मेन्द्र कुमार

शोधार्थी, यूजीसी नेट (जेआरएफ),
इतिहास विभाग, जय प्रकाश
विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत।

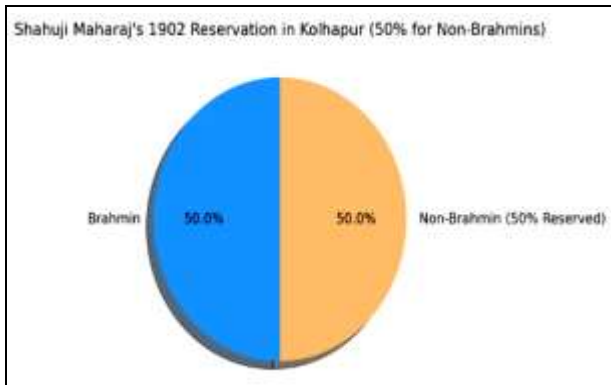


Fig 1: Shahuji Maharaj's 1902 reservation policy in Kolhapur allocating 50% of administrative seats for non-Brahmins, marking the beginning of modern backward-class empowerment

पीड़ित वर्गों के प्रतिनिधियों की भेंट तथा उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर 1918 में मैसूर के महाराज ने सर एल.सी. मिलर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस समय मिलर मैसूर के मुख्य न्यायाधीश थे। आयोग को गैर-ब्राह्मणों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए सुझाव देना था। मिलर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मैसूर सरकार ने 1921 में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और राज्य सरकार की भर्तियों में विशेष सुविधाएं दीं।¹ मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में पहली बार 1919 में अखिल भारतीय स्तर पर वंचित समुदायों के कल्याण के लिए व्यवस्थित प्रयास किया गया। उस समय सार्वजनिक निकायों में इन समुदायों को अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आधिकारिक बोलचाल के सर्वग्राही शब्द वंचित वर्ग की जगह उस समय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल किया गया। 1931 की जनगणना में डिप्रेस्ड क्लास का नाम बदलकर बाहरी जाति कर दिया गया, जिसमें सिर्फ अछूत जातियां शामिल होती थीं। पहाड़ी जनजाति व आदिवासी को 'आदिम जनजाति' के अधीन रखा गया।² लगभग 100 वर्षों से प्रांतीय सरकारें भारत में वंचित समाज के लिए कल्याणकारी योजना चला रही हैं और पहला बीड़ा मद्रास सरकार ने उठाया था। सरकार ने वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को सुविधाएं देने वाले शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने के लिए 1885 में सहायता अनुदान की व्यवस्था की थी। इसके बाद 1921 में मद्रास सरकार की राज्य विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सरकारी सेवाओं में गैर-ब्राह्मण प्रत्याशियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए गए। 1927 में इस योजना की समीक्षा की गई तथा आरक्षण का दायरा और बढ़ा दिया गया। इसके लिए राज्य के सभी वर्गों को 5 बड़ी श्रेणियों में बाँटा गया और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग कोटा तय किया गया।⁴

1927 Communal Government Order Quotas

1927 के Communal Government Order के तहत, राज्य के वर्गों को 5 प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया था। कोटा हर 12 पदों पर आधारित था :

श्रेणी (Category)	कोटा (Quota in 12 units)	प्रतिशत (Percentage)
Non-Brahmin Hindus	5	41.67%
Brahmins	2	16.67%
Muslims	2	16.67%
Christians & Anglo-Indians	2	16.67%
Scheduled Castes	1	8.33%

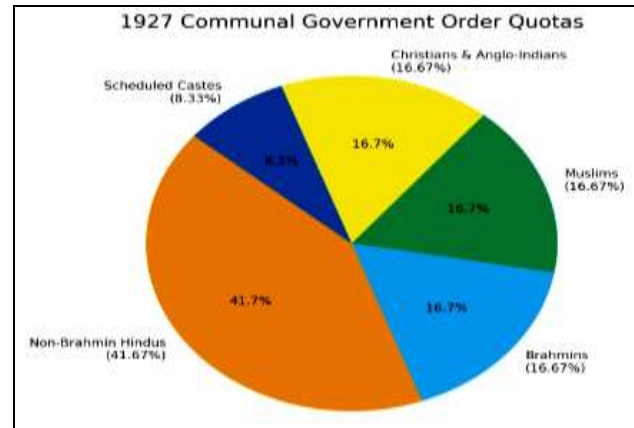


Fig 2: The 1927 Communal Government Order quotas, showing distribution of representation across five categories: Non-Brahmin Hindus, Brahmins, Muslims, Christians & Anglo-Indians, and Scheduled Castes.

बॉम्बे सरकार ने 1928 में ओ.एच.बी. स्टार्ट की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग का पहचान करना, उनके विकास के लिए विशेष उपायों का सुझाव देना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग को तीन श्रेणियों में बाँटा: दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग व पहाड़ी जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। इस आयोग ने सरकारी भर्तियों व शिक्षा में उपरोक्त 3 श्रेणियों में आने वाले लोगों के लिए विशेष उपाय किए जाने की सिफारिश की।¹ भारत सरकार अधिनियम 1935 में डिप्रेस्ड क्लास को "अनुसूचित जाति" में बदल दिया गया तथा 1936 में विभिन्न प्रांतों में अनुसूचित जाति की अलग सूचियां तैयार की गईं। साथ ही आदिम जनजाति में तब्दील कर दिया गया तथा इनकी सूची संबंधित प्रांतों में जारी की गई, जहां इन जनजातियों की उल्लेखनीय मौजूदगी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने का लाभ यह हुआ कि संघीय विधायिका तथा प्रांतीय विधानसभाओं में इन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया।⁶ स्वतंत्रता के बाद से ही केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने का काम शुरू किया, जिससे उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकें। संविधान के अनुच्छेद 15 (4) तथा 16 (4) में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों या जनजातियों के उत्थान के लिए ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। इन्हीं मकसदों को लेकर काका कालेलकर आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार 1953 में किया गया था। इसने देश भर में 2399 पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की तथा इसमें से 837 को "अत्यंत पिछड़ा" के रूप में पृथक किया। नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 340 (1953) के अनुसार पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण

संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार 1953 में एक आयोग गठित किया गया था। इसने देश भर में 2399 पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की। इनमें से 837 को 'अत्यंत पिछड़ा वर्ग' (EBC) के रूप में पृथक किया गया, जबकि शेष 1562 को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में रखा गया। (Figure 3, see below)

Kaka Kalelkar commission

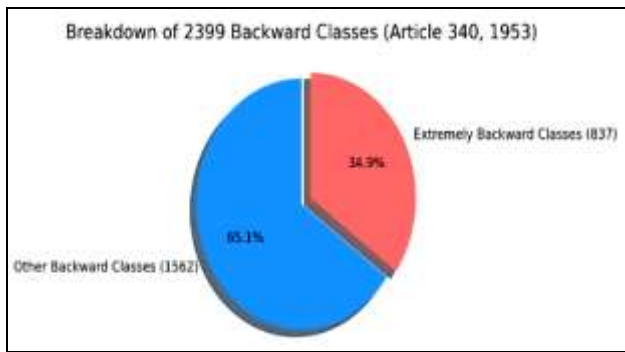


Fig 3: Classification of 2,399 backward classes by the Kaka Kalelkar Commission (1953) under Article 340, with 837 identified as Extremely Backward Classes (EBC) and 1,562 as Other Backward Classes (OBC)

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आयोग की सिफारिशें बहुत विस्तृत क्षेत्र में तथा समग्रता लिए हुए हैं। इसमें विस्तृत भूमि सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्संगठन, भूदान आंदोलन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन विकास, पशुधन बीमा, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, ग्रामीण व कुटीर उद्योग का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, वयस्कों की शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी आदि जैसे विविधकृत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस तरह से 10 राज्य सरकारों ने इसके आधार पर 15 आयोग व समितियों का गठन किया। राज्यों में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।¹⁷ आंध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1968 में मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून 1970 में सौंपी। इस आयोग ने ओबीसी की 4 विभिन्न श्रेणियों को चिन्हित किया तथा प्रोफेशनल कॉलेजों व सरकारी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण की सिफारिश की। आंध्र प्रदेश सरकार ने विमुक्त जाति, अबोरिजनल ट्राइब्स, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए 7%, वोकेशनल ग्रुप के लिए 7%, हरिजन कनवर्ट्स के लिए 1% तथा अन्य वर्ग के लिए 1% आरक्षण को स्वीकार कर लिया।¹⁸

जून 1971 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1976 में दी। इस आयोग ने 128 समुदायों को "पिछड़े" के रूप में चिन्हित किया तथा उनमें से 94 को "अत्यंत पिछड़े- मोस्ट बैकवर्ड" के रूप में वर्गीकृत किया। आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार की थीं: अन्य पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों की रक्तियों में 20% आरक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसी रक्तियों में 3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं तथा इतना ही प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशनल संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 24% आरक्षण है। आवास के लिए जमीन के आवंटन, छात्रवृत्ति तथा शिक्षण शुल्क की वापसी आदि की सुविधा ओबीसी को दी जाए। राज्य सरकार ने उपरोक्त सभी सिफारिशें अक्टूबर 1978 में स्वीकार कर लीं।¹⁹ गुजरात सरकार ने ए.आर. बख्शी की अध्यक्षता में अगस्त 1972 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की। इस आयोग ने 82 जातियों व समुदायों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया और इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल संस्थानों, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में, उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्रों में 10% सीटों का आरक्षण का सिफारिश किया, जिसे गुजरात सरकार ने स्वीकार कर लिया।¹⁰

जम्मू कश्मीर सरकार ने फरवरी 1969 में जे.एन. वजीर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1969 में सौंपी। कमजोर व वंचित वर्ग में ज्यादातर पेशेवर वर्ग थे। पिछड़े इलाकों का चयन

खासकर पहुंच, कम शिक्षा, खराब मौसम, इलाज की सुविधा का अभाव आदि मानकों के आधार पर किया गया था। राज्य के पिछड़े समुदायों के लिए समिति ने सभी सरकारी सेवाओं की रक्तियों में, सभी प्रोफेशनल संस्थान तथा टेक्निकल में 42% आरक्षण का सिफारिश किया।¹¹ अगस्त 1972 में कर्नाटक सरकार ने एल.जी. हावनूर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1975 में दी। समिति ने आवासीय, आर्थिक तथा पेशा आदि कई परीक्षण किए, जिसके आधार पर जातियों तथा समुदायों के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण किया। पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर भरोसा करने के अतिरिक्त समिति ने राज्य में उनकी आबादी पर काम किया तथा सरकारी सेवाओं की रक्तियों में नियमानुसार 41.67% आबादी के लिए 32% आरक्षण का सिफारिश किया।¹² केरल सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 आयोगों/समितियों को नियुक्त किया। पहली मूल्यांकन आयोग का गठन वी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में जून 1961 में किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1963 में सौंपी। जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं: ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्रोफेशनल तथा टेक्निकल कॉलेजों में 40% आरक्षण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए 10% आरक्षण तथा उपरोक्त आरक्षण राज्य सरकार की सभी नई नियुक्तियों में भी लागू होगा और पिछड़े वर्गों के पुनर्वर्गीकरण के सवाल पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन होगा। राज्य सरकार ने उपरोक्त सिफारिशें स्वीकार कर लीं, जबकि ओबीसी विद्यार्थियों का प्रोफेशनल तथा टेक्निकल संस्थान में आरक्षण 25% स्वीकार किया।¹³

महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 1961 में बी.डी. देशमुख की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग को नौकरियों में आरक्षण पर सिफारिश करनी थी। आयोग ने जनवरी 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अनुसूचित जातियां तथा नव बौद्ध, अनुसूचित जनजातियां, डीनोटीफाइड तथा घुमंतु जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण का सिफारिश किया।¹⁴ पंजाब सरकार ने 1951 में पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त किया तथा आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 समुदायों को पिछड़ा माना गया, जिनकी राज्य में 20% जनसंख्या है। इनकी पहचान शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई। आयोग की सिफारिशों के आधार पर नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 2% सीटें आरक्षित की गई। इसी प्रकार की व्यवस्था शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में अक्टूबर 1975 में "अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग" का गठन किया। इस आयोग ने 1977 में अपनी सिफारिशें सरकार को पिछड़े वर्ग को 3 श्रेणियों में विभाजित करके कुल 29.5% आरक्षण देने का सिफारिश की।¹⁵ तमिलनाडु सरकार ने ए.एन. सतनाथन की अध्यक्षता में नवंबर 1969 में पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित किया। इस आयोग ने नवंबर 1970 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस आयोग के सिफारिशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार को 33% पद आरक्षित करना चाहिए। उपरोक्त आरक्षण का पालन विभिन्न टेक्निकल और प्रोफेशनल संस्थान में भी किया जाना चाहिए और विभिन्न शैक्षणिक छूट तथा कोचिंग सुविधा आदि अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मुहैया कराई जानी चाहिए।¹⁶

भारत सरकार ने वी. पी. मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की अधिसूचना 1 जनवरी 1979 को जारी की और इस आयोग ने दिसम्बर 1980 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की और 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। केन्द्र सरकार ने 17 जनवरी 1991 को पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की तथा 8 सितंबर 1993 को केन्द्र सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत 20 फरवरी 1994 को वी. राजशेखर आरक्षण के माध्यम से नौकरी पाने वाले पहले अभ्यर्थी बने। अर्जुन सिंह ने 16 अप्रैल 2006 को सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंडल-2 लागू करने की सिफारिश की। 21 अगस्त 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा

संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। 25 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। विधेयक संसद में पारित हो गया। सरकार ने वर्ष 2007 में उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया। इस प्रकार लंबे उतार-चढ़ाव, अनेकों आंदोलन के बाद 1993 में ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण तथा 2008 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।¹⁷

संदर्भ सूची

1. बौद्ध, स्वरूप चंद्र. पिछड़ा वर्ग और डॉ. आंबेडकर. नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन, 2017. पृ. 52.
2. मिलर आयोग की रिपोर्ट. 1918. पृ. 7-8.
3. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 1980. भाग एक. 1980. पृ. 4.
4. पी. एस., सत्येन्द्र. मंडल कमीशन: राष्ट्रनिर्माण की सबसे बड़ी पहल. नई दिल्ली: वाम प्रकाशन, 2024. पृ. 103.
5. वही. पृ. 103.
6. ठाकुर, हरिनारायण. भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन और परिवर्तन का नया समाजशास्त्र. दिल्ली: कल्पज पब्लिकेशन्स, 2009. पृ. 210.
7. काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट. 1955. पृ. 22.
8. पी. एस., सत्येन्द्र. उपरोक्त. पृ. 106.
9. मुंगेरिलाल आयोग की रिपोर्ट. 1976. पृ. 22.
10. पी. एस., सत्येन्द्र. उपरोक्त. पृ. 108.
11. वही. पृ. 109-110.
12. मंडल आयोग की रिपोर्ट. 1980. पृ. 6-7.
13. वही. पृ. 7.
14. पी. एस., सत्येन्द्र. उपरोक्त. पृ. 113-114.
15. वही. पृ. 114-115.
16. मंडल आयोग की रिपोर्ट. 1980. पृ. 9.
17. पी. एस., सत्येन्द्र. उपरोक्त. पृ. 19-23.